6
अध्याय

वाणिज्यिक खनन हेतु कोयला ब्लॉकों की नीलामी

वाणिज्यिक खनन हेतु कोयला ब्लॉकों की नीलामी

1. आवंटन की स्थिति (सीएमएसपी अधिनियम, 2015 के अंतर्गत आवंटित)

माननीय य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त 204 कोयला खानों का आवंटन अब कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाना है। अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत, अब तक कुल 120 कोयला खानें आवंटित हो चुकी 106 कोयला खानों की स्थिति निम्नवत है:

हैं। इनमें से, 14 कोयला खानों का आवंटन रद्द किया जा चुका है। शेष 106 कोयला खानों में से, 46 कोयला खानें नीलामी द्वारा आवंटित की गई जबकि 60 'आवंटन' के द्वारा आवंटित की गई। नीलाम की गई 46 खानों में से, 16 खानों को खान खोलने की अनुमति प्राप्त हो चुकी हैं (15 उत्पादन के अंतर्गत)। 60 आवंटित खानों में से, 27 खानों को खान खोलने की अनुमति प्राप्त हो चुकी हैं (19 उत्पादन के अंतर्गत)।

सीएम (एसपी) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत आवंटित कोयला खानों की स्थिति (106 खानें)								
क्र. सं.	आवंटन का तरीका	अनुसूची	अन्त्य–उपयोग (विद्युत)	अन्त्य–उपयोग (एनआरएस)	कोयले का विक्रय	कुल	कार्यरत कोयला खानें	उत्पादन के अंतर्गत खानें
1	नीलाम	II	4	10	5	19	15	14
		III	2	9	0	11	1	1
		I	0	1	15	16	0	0
	उप–योग		**6**	**20**	**20**	**46**	**16**	**15**
2	आवंटन	II	17	0	1	18	15	13
		III	23	2	2	27	12	6
		I	2	0	13	15	0	0
	उप–योग		**42**	**2**	**16**	**60**	**27**	**19**
कुल			**48**	**22**	**36**	**106**	**43**	**34**

नीलाम की गई कोयला खानें–कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के अंतर्गत नीलाम की गई 19 अनुसूची II कोयला खानों में से (कोयला खानें जो निरस्तीकरण के समय प्रचालन में थीं) 15 कोयला खानों को खान खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इसके अलावा 11 अनुसूची III कोयला खानों में से, 1 कोयला खान को खान खोलने की अनुमति दी गई है और इसने कोयला उत्पादन शुरू कर दिया है।

आवंटित कोयला खानें–सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) / जेन्कोज को आवंटित 18 अनुसूची II कोयला खानों में (कोयला खानें जो निरस्तीकरण के समय प्रचालन में थीं) में से अब तक 15 कोयला खानें प्रचालन में हैं / खान कार्य समय पर शुरू कर दिया है। शेष 42 कोयला खानों (27 अनुसूची III + 15 अनुसूची I) में से 12 कोयला खानों को खान खोलने की अनुमति प्राप्त हो गई है।

दिसम्बर, 2021 तक अर्जित संपूर्ण राजस्व 10796.82 करोड़ (रॉयल्टी, करों, उपकरों आदि को छोड़कर) है।

सीएमएसपी अधिनियम, 2015 के अंतर्गत खान आवंटन के समय से दिसम्बर, 2021 तक उत्पादित कुल कोयला 176.83 मिलियन टन हैं, जिसमें से वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान दिसम्बर, 2021

तक उत्पादित कोयला 40.15 मिलियन टन है।

2. नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा एमएमडीआर खानों का आवंटन

नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के कार्यालय द्वारा एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के तहत कुल 7 कोयला खानों की सफलतापूर्वक नीलामी और निहित किया गया है (वाणिज्यिक नीलामी के पहले दौर के तहत 4 कोयला खानें और वाणिज्यिक नीलामी के दूसरे दौर के तहत 3 कोयला खानें)।

3. राष्ट्रीय कोयला सूचकांक की प्रचालन नियमावली एवं प्रतीकात्मक मूल्य

आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा कोयला ब्लॉकों के वाणिज्यिक खनन की अनुमति दी जा चुकी है। नीलामी प्रक्रिया में, राष्ट्रीय कोयला सूचकांक एवं प्रतीकात्मक मूल्य की अति महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सूचकांक की अवधारणा एवं डिजाइन तथा प्रतीकात्मक मूल्य भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता द्वारा विकसित की गई है। वर्तमान दिशानिर्देश तकनीकी विवरण देते हैं जिनका अनुपालन कोयला मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप एनसीआई और आरपी के संग्रहण के विभिन्न स्तरों पर किया जाना है।

3 क. एनसीआई एवं आरपी की संक्षिप्त सामग्री: एनसीआई सभी विक्रय स्तरों (अनुक्रमों) से कोयला के मूल्यों को सम्मिलित करते हुए एक मूल्य सूचकांक हैं – अधिसूचित मूल्य नीलामी मूल्य एवं आयात मूल्य।

अधिकांश कोयले की बिक्री अधिसूचित मूल्यों पर होती है। नॉन–कोकिंग कोयला हेतु, सीआईएल प्रत्येक श्रेणी के लिए अधिसूचित मूल्य निश्चित करती है। नियंत्रित क्षेत्र एवं अनियंत्रित क्षेत्र में मूल्य विभेद है। पुनः, लागत विचार के कारण, डब्ल्यूसीएल कोयला हेतु विभिन्न अधिसूचित मूल्य व्यवस्था बनाई गई हैं। इसी तरह एससीसीएल भी नियंत्रित एवं अनियंत्रित क्षेत्रों के मध्य मूल्य विभेद के साथ कोयले की विभिन्न श्रेणियों हेतु मूल्य अधिसूचित करता है। कोकिंग कोयला के संदर्भ में, सीआईएल की कुछ सहायक कंपनियां ही उत्पादन कर रही हैं। कोकिंग कोल का मूल्य अधिसूचित करने की शक्ति सहायक कंपनियों को प्रत्यायोजित की गई है। नियंत्रित एवं अनियंत्रित और सीआईएल (डब्ल्यूसीएल के अतिरिक्त), डब्ल्यूसीएल हेतु कोयले के प्रत्येक श्रेणी के अधिसूचित मूल्य तथा गैर–कोकिंग कोल हेतु डब्ल्यूसीएल एवं एससीसीएल और नियंत्रित क्षेत्र एवं गैर–अनियंत्रित क्षेत्र हेतु विभिन्न श्रेणी की विभिन्न सहायक कंपनियों को कोकिंग कोयला के लिए अधिसूचित मूल्य एनसीआई साथ ही साथ आरपी के उद्देश्य हेतु लिये जायेंगे।

अधिसूचित मूल्यों पर बिक्री के अतिरिक्त, सीआईएल और एससीसीएल विभिन्न मंचों अर्थात् एमएसटीसी और जंक्शन पर कोयले की ई–नीलामी करते हैं। इस उद्देश्य हेतु योजनाओं का एक समूह (एसईटी) एक खास किस्म के ग्राहकों हेतु है। नीलामी प्रत्येक माह संपन्न की जाती है। इसके अलावा, सीआईएल –एनआरएस (गैर–नियंत्रित क्षेत्र) हेतु लिंकेज नीलामी करता है। एनसीआई एवं आरपी के उद्देश्य हेतु, नीलामी (केवल सीआईएल की) से विभिन्न श्रेणी के कोयले की इकाई मूल्य को ध्यान में रखा जायेगा। **इस उद्देश्य हेतु, नीलामी, का आशय दोनों ई–नीलामी एवं लिंकेज नीलामी से है।**

एनसीआई एवं आरपी का तृतीय घटक आयात मूल्य है। दोनों के संग्रह हेतु केवल निर्धारित देशों से विशिष्ट प्रकार के कोयले का आयात ध्यान में रखा जायेगा। प्रत्येक माह हेतु आयात की मात्रा एवं इनका मूल्य डीजीसीआईएस से एकत्र किए जाएंगे और इन दो मूल्यों से, कोयले की इकाई मूल्य की गणना एनसीआई तथा आरपी में इसके उपयोग हेतु की जाएगी।

3 ख. डाटा संग्रहण: विभिन्न प्रकार के मूल्य डाटा संग्रहण की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से डीडीजी कार्यालय पर निर्भर है। इस उद्देश्य हेतु निदेशक (विपणन), सीआईएल एवं डीजीसीआईएस को नियमित आधार पर डाटा भेजने के लिए एक पत्र भेजा गया था। डीडीजी को विपणन विभाग, सीआईएल और डीजीसीआईएस के अधिकारियों के साथ निर्धारित समय–सीमा में डाटा–संग्रहण हेतु सर्वश्रेष्ठ प्रयास, अनुसरण करता है। कोकिंग कोयले का अधिसूचित मूल्य प्राप्त करने हेतु बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल एवं डब्ल्यूसीएल के कोकिंग कोयला मूल्यों के लिए डीडीजी द्वारा सीआईएल के साथ नियमित वार्तालाप किया जाता है, जिसका डाटा उद्देश्य हेतु उपयुक्त है।

मंत्रालय द्वारा प्रत्येक माह एनसीआई का संग्रहण किया जा रहा है। नवीनतम एनसीआई माह दिसम्बर, 2021 में प्रकाशित की गई थी।

4. वाणिज्यिक खनन

माननीय प्रधानमंत्री ने 18.06.2020 को 38 ब्लॉकों हेतु अब तक की पहली वाणिज्यिक कोयला खनन योजना आरंभ की है। ये ब्लॉक 16,979 मिलियन टन के कुल भू–गर्भीय भंडारों सहित पांच राज्यों में फैले हैं और 225 मिलियन टन प्रति वर्ष की सम्मिलित उच्च क्षमता है। नीलामी प्रक्रिया को बोली लगाने वालों से अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। नीलामी हेतु प्रस्तुत 38 खानों में से 53% की सफलता दर के साथ 20 खाने सफलतापूर्वक नीलाम हुई।

कोयला मंत्रालय द्वारा 25.03.2021 को वाणिज्यिक खनन के लिए दूसरे दौर की नीलामी शुरू की गई थी। चरण–II में कुल 67 कोयला खानों/ब्लॉकों की पेशकश की गई थी, जिनमें से 37 खानों का पूरी तरह से अन्वेषण किया गया हैं और 30 आंशिक रूप से अन्वेषित ब्लॉक हैं। कोकिंग कोयला उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए 6 कोकिंग कोयला खानों की पेशकश की गई। इन 67 कोयला ब्लॉकों में से 10 कोयला ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है।

नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी, कोयला मंत्रालय द्वारा 12 अक्टूबर, 2021 को 88 कोयला खानों के लिए चरण–III की वाणिज्यिक नीलामी शुरू की गई थी। बोलीदाताओं की उपस्थिति में 15 दिसंबर, 2021 को ऑनलाइन और ऑफलाइन बोली दस्तावेजों वाली तकनीकी बोलियों को यहां खोला गया था। 20 (बीस) कोयला खानों के लिए कुल 55 (पचपन) बोलियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 16 (सोलह) पूरी तरह से अन्वेषित खानें हैं और 4 (चार) आंशिक रूप से अन्वेषित खानें हैं। इनमें से 2 (दो) खानें कोकिंग कोयला खानें हैं और शेष 18 (अठारह) खानें गैर–कोकिंग कोयला खानें हैं। 10 (दस) कोयला खानों के लिए दो या दो से अधिक बोलियां प्राप्त हुई हैं। 10 (दस) कोयला खानों के लिए एकल बोली प्राप्त हुई है जिसके लिए नीलामी प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। 10 (दस) कोयला खानों के लिए बोलियों का मूल्यांकन किया जा रहा है जहां दो या अधिक बोलियां प्राप्त हुई थीं और एक बहु–अनुशासनात्मक तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है।

एमसीआर, 1960 में नियम 27क को शामिल करने के साथ कैप्टिव खान के आवंटिती को खान से संबद्ध अंत्य उपयोग संयंत्र की आवश्यकता को पूरा करने के बाद एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित कुल कोयला अथवा लिग्नाइट के ऐसे प्रतिशत (50%) तक कोयले अथवा लिग्नाइट की बिक्री की अनुमति है। यह प्रावधान अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं सहित शुल्क दर हेतु प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर दी गई विद्युत परियोजना के लिए लागू नहीं है।

16 दिसंबर, 2021 को वाणिज्यिक नीलामी के चौथे दौर की नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई थी। नीलामी के लिए कुल 99 कोयला खानों को रखा गया था। इन 99 कोयला खानों में से 35 कोयला खानें सीएमएसपी अधिनियम के तहत नीलामी के 14वें दौर में हैं और 64 कोयला खानें एमएमडीआर अधिनियम के तहत नीलामी के चौथे दौर में हैं। इन 99 कोयला खानों में से 24 नई कोयला खानें हैं जबकि शेष 75 कोयला खानें नीलामी के पहले दौर की रोल ओवर खानें हैं। प्रस्तावित कोयला खानें आंशिक रूप से और पूरी तरह से अन्वेषित कोयला खानों का मिश्रण हैं जिनमें 59 कोयला खानें पूर्ण रूप से अन्वेषित हैं और 40 कोयला खानों का आंशिक रूप से अन्वेषण किया जा रहा है। इसके अलावा, 4 कोकिंग कोयला खानें हैं और 95 गैर–कोकिंग खानें हैं। बोली जमा करने की निर्धारित तिथि 14 फरवरी, 2022 है।

कोयला क्षेत्र को खोलने से देश में एक बाजार आधारित कोयला अर्थव्यवस्था के निर्माण में सहायता मिलेगी। जबकि अन्त्य–उपयोग उद्योग एक पारदर्शी माध्यम से अपने इनपुट कोयला आपूर्ति से लाभान्वित होंगे, अन्त्य उपयोगकर्त्ता कोयला क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के बढ़ने से लाभान्वित होंगे। घरेलू कोयला उत्पादन में बढ़ोत्तरी से परिहार्य कोयला आयात को कम करने में सहायता मिलेगी, ऊर्जा हेतु आत्म–निर्भरता की हमारी यात्रा में एक और कदम होगा और परिणामस्वरूप, बहुमूल्य विदेशी विनिमय के बाह्गमन को कम करने में मदद करेगी। वाणिज्यिक कोयला खनन से नये निवेश और रोजगार सृजन, दोनों प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, होगा। चूंकि, नीलामी से प्राप्त संपूर्ण राजस्व कोयलाधारी राज्य सरकारों को आवंटित होगा, ऐसी उम्मीद है कि इससे कोयलाधारी राज्य जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं ओडिशा में अत्याधिक सामाजिक–आर्थिक लाभ होगा। वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन के कोयला गैसीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु स्वच्छ कोयला तकनीकियों में विशाल निवेश किया जा रहा है। इसके अलावा, नीलामी प्रक्रिया में स्वच्छ कोयला तकनीकियों जैसे कोयला गैसीकरण एवं तरलीकरण को अपनाने हेतु प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। हमारे भविष्य के निर्माण हेतु विविधीकरण परियोजनाओं पर एक साथ काम करते हुए, हमारे विशाल कोयला भंडारों के इष्टतम उपयोग हेतु पहलें की जा रही हैं।